FAQ - RAJKAJ 2.0

MODULE: IPR

1. मेरे पद/पदस्थापन का विवरण राज-काज IPR में कैसे सही किया जावें?

IPR में पद/पदस्थापन सही करने के लिए कार्मिक स्वयं Update Profile का उपयोग कर पद/पदस्थापन आदि किसी भी प्रकार के विवरण को सही कर सकता है|

2. किसी कार्मिक की प्रॉपर्टी डिटेल्स गलत सबमिट हो जाने पर क्या करे?

IPR भरने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में IPR सबमिट करने के साथ ही उसी समयावधि में सबमिट की हुई IPR में संपत्तियों को Add और Update कर उसे पुनः सबमिट (Update IPR) कर सकते है |

3. IPR किसके द्वारा भरी जावेगी?

राजस्थान सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों/बोर्ड/निगम/पी.एस.यू. आदि में पदस्थापित समस्त राजकार्मिको के द्वारा IPR भरी जावेगी |

- As Per reference :RajKaj website (https://rajkaj.rajasthan.gov.in/) पर 30.12.2024 - Circular regarding On-Line Submission of Immovable Property Return dated आर्डर देखे|

4. वर्ष 2025 (1 जनवरी 2026 की स्थिति) का अचल सम्पत्ति विवरण को भरने के लिए किस पोर्टल का उपयोग करना होता है ?

वर्ष 2025 (1 जनवरी 2026 की स्थिति) का अचल सम्पत्ति विवरण निम्न पोर्टल से भरा जा सकता है

- SSO से https://sso.rajasthan.gov.in >> login >> RAJKAJ >> IPR >> IPR 2026 और फिर sso login >> IPR Dashboard
- **RajKaj2.0** Portal से https://erajkaj.rajasthan.gov.in >> Sign in or Fill IPR

5. गत वर्षो में भरी हुई IPR कहा से डाउनलोड कर सकते है ?

गत वर्षो में भरी हुई IPR को डाउनलोड निम्न लिंक से किया जा सकता है -

- DOP Website (कार्मिक विभाग के पोर्टल के माध्यम से) https://dop.rajasthan.gov.in/Content/ImmovablePropertyReturn.aspx?menu_id=369
- SSO से https://sso.rajasthan.gov.in >> login >> RAJKAJ >> IPR >>IPR 2026 और फिर sso login >> IPR Dashboard >> View Old IPR
- RajKaj Website (https://rajkaj.rajasthan.gov.in/) राज-काज पोर्टल के रिपोर्ट्स मेनू में अचल सम्पत्ति विवरण पर क्लिक कर अपनी एस.एस.ओ आई डी या एम्प्लोयी आई डी दर्ज कर पूर्व वर्षो का अचल सम्पत्ति विवरण पीडीएफ में डाउनलोड कर प्राप्त करे |
- rajkaj.rajasthan.gov.in >> Reports >> Immovable Property Return >> View IPR by Department/Employee/DDO https://rajkaj.rajasthan.gov.in/reports/ipr-details.php

6. क्या मुझे IPR भरनी चाहिए ?

अगर आप एक सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/पी.एस.यू. में सरकारी कर्मचारी है तो आपको अग्रिम जनवरी माह में IPR भरनी चाहिए |

7. कर्मचारियों को संपत्ति विवरण में किस-किस की प्रॉपर्टी सबमिट करनी होती है ?

जो संपत्ति कार्मिक के स्वयं के नाम, आश्रितो के नाम अथवा साझेदारी में खरीदी है, उन सभी का विवरण IPR में देना होता है|

8. यदि दिए गये समय में मेरे द्वारा IPR नहीं भरी जा सकी तो क्या किया जाये ?

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा IPR भरने के अग्रिम आदेश जारी होने के बाद, राजकाज में IPR Submit करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर, आप IPR भर पाएंगे| इससे अतिरिक्त वर्षभर में खरीदी हुई प्रॉपर्टी को Add और update किया जा सकता है|

9. कर्मचारी अधिकतम कितनी प्रॉपर्टीज भर सकता है ?

कर्मचारी के द्वारा स्वयं के नाम, स्वयं पर आश्रित एवं अन्य किसी के साथ साझे में खरीदी गई सभी प्रॉपर्टीज का विवरण राजकाज IPR में दिया जा सकता है, इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है |

10. प्रॉपर्टी ना होने की स्थिति में क्या कर्मचारी को IPR भरनी है ?

हां, प्रॉपर्टी ना होने की स्थिति में, वह निल प्रॉपर्टी विकल्प का चयन कर अपनी प्रॉपर्टी को निल करके सबमिट कर सकता है|

11. मैं IPR कब तक भर सकता हु ?

आप IPR में प्रॉपर्टी जोड़ना और अद्यतन का कार्य तो वर्षभर में कभी भी कर सकते है, लेकिन उसे कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र की समयावधि में डिक्लेअर/ सबमिट किया जा सकता है|

MODULE: MASTER

1. कार्मिकों की मैपिंग कैसे करें ?

राजकाज 2.0 में IPR भरने के लिए कार्मिक अपनी मैपिंग के लिए स्वयं के कार्यालय के किसी भी सरकारी कर्मचारी (जोकि राजकाज 2.0 में पहले से ही Mapped हो), से मैपिंग करवा सकते है|

सरकारी कर्मचारी से मैपिंग/ पंजिकरण करवाने हेतु :- https://erajkaj.rajasthan.gov.in >> Sign in >> Apps (Left upper side) >> Create Public Service Representative >> Select employee Type >> Fill Personal Information and Service Details

2. सर्विस डीटेल्स भरते समय पैरेंट ऑर्गनाइजेशन और कार्यालय में क्या भरना है ?

सर्विस डीटेल्स भरते समय पैरेंट ऑर्गनाइजेशन और कार्यालय में कर्मचारियों को स्वयं के मूल विभाग / (नियुक्तिकर्ता विभाग) का नाम भरना है |

3. पहली बार login के समय यदि प्रोफाइल में गलत इनफार्मेशन आ रही है तो क्या करे ?

- यदि SSO से Synchronize कर रहे है तो : प्रोफाइल डिटेल्स SSO में सही करवानी है और फिर राजकाज में अपनी प्रोफाइल अपडेट करे |

- यदि SIPF से Synchronize कर रहे है तो : प्रोफाइल डिटेल्स SIPF में सही करवानी है और फिर राजकाज में अपनी प्रोफाइल अपडेट करे |

OTHERS

1. किसी भी तकनीकी सहायता के लिए मैं कहां संपर्क करूं ?

राजकाज हैल्पलाइन 22281, 21149, 25181 पर सम्पर्क कर सकते है एवं support.rajkaj@rajasthan.gov.in पर मेल भेज सकते है।

Online Support प्रक्रिया से भी तकनीकी सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है

https://erajkaj.rajasthan.gov.in >> Sign in >>support (Left down side) >> fill your issue details and submit.

2. SSO में लोगिन ना होने पर क्या करें ?

SSO में लोगिन ना होने पर SSO helpdesk पर मेल या कॉल पर संपर्क करे | साथ ही जिला कार्यालय, सूचना प्रौधोगिकी और संचार विभाग में संचालित एस एस ओ हेल्प डेस्क पर भी सम्पर्क किया जा सकता है|
जिला कार्यालय एस एस ओ हेल्प डेस्क के लिए :- sso.rajasthan.gov.in/signin >> Helpdesk Details (At bottom Line) >> Search Helpdesk

मेल आईडी :- helpdesk.sso@rajasthan.gov.in

संपर्क नंबर:- 014129 - 25555, 25554